भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5048

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

सीएसआर संबंधी अध्ययन

5048. श्री सुशील कुमार सिंहः
श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबूः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी अधिनियम को लागू करने के प्रभाव पर कोई ढांचागत अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार उक्त अध्ययन शुरू करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विधि एवं कर विनियमों संबंधी स्पष्टता की कमी के कारण कारपोरेट घरानों के सामने आ रही बाधाओं की जानकारी है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कारपोरेट घरानों के सामने आ रही सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और सीएसआर के कार्यकलापों पर अब तक क्या प्रगति की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) और (ख): जी, नहीं। वर्तमान में कारपोरेट कार्य मंत्रालय का इस प्रकार का कोई अध्ययन करवाने का प्रस्ताव नहीं है। एमसीए21 प्रणाली, कंपनियों की वार्षिक फाइलिंग के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर क्षेत्र-वार और राज्य-वार व्यय का ब्यौरा रखा जाता है।

(ग) और (घ): विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर मंत्रालय ने (i) अनुमेय सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत व्यापक कार्यकलापों को शामिल करने के लिए अधिनियम की अनुसूची VII में संशोधन किए हैं; (ii) दिनांक 18.06.2014 और 12.01.2016 को क्रमश: स्पष्टीकरण परिपत्र और प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं; (iii) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में संशोधन जारी किए हैं जिससे (क) सीएसआर पर होने वाले 'प्रशासनिक ऊपरी व्यय' को अनुमेय सीएसआर व्यय में शामिल किया जा सके, और (ख) सीएसआर कार्यकलापों के लिए कंपनियों द्वारा संसंधान जुटाने में मदद हो सके; और (iv) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 की धारा 135 के संशोधन शामिल किए गए हैं।

कर विनियमन के संबंध में, वित्त अधिनियम, 2014 में उल्लेख है कि सीएसआर पर किया जाने वाला व्यय व्यापार व्यय का भाग नहीं है।

*****